समाचार-प्रकाशनार्थः-

निगम कर्मचारियों को पीओएस मषीन चलाने का दिया प्रषिक्षण

पीओएस मषीन से जमा होंगे निगम के कर

गंदगी करने वालों पर भी मषीन से होंगे स्पॉट फाईन

रतलाम 23 दिसम्बर । संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की राषि अब नगर निगम के कर्मचारी पीओएस मषीन के माध्यम से ई-नगर पालिका पोर्टल पर जमा करेंगे साथ ही गंदगीए अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर भी मषीन के माध्यम से स्पॉट फाईन किया जायेगा।

इंडसंड बैंक द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराई गई 25 एन्ड्रॉयड पीओएस मषीन चलाने का प्रषिक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में इंडसंड बैंक इंदौर के सेल्स मैनेजर श्री दिव्यांष खण्डेलवाल ने निगम के जलकरए संपत्तिकरए विकास षाखाए लायसेंसए स्पॉट फाईन दल सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया।

प्रषिक्षण में बताया गया कि मषीन में ई-नगर पालिका पोर्टल साफ्टवेयर लोड किया हुआ हैए मषीन पुरी तरह से एन्ड्रॉयड है इस पर नगर निगम के विभिन्न करो की राषि जमा कर संबंधित को उसी टाईम रसीद उपलब्ध कराये जाने के साथ ही मोबाईल एसएमएस भी किया जा सकता है। करो की राषि नगदए डेबिटए क्रेडिट कार्ड से भी जमा की जा सकती है।

आयोजित प्रषिक्षण के दौरान उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए श्री भविश्य कुमार खोब्रागड़ेए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए श्रीमती नीता जैनए लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्राए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाष आचार्यए उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्राए सुहास पंडितए बी.एल. चौधरीए राजेष पाटीदारए विकाससिंह मरकामए सिद्धार्थ सोनीए ब्रजेष कुषवाहए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र षर्माए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया सहित निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण

5 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 23 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान महू रोड बस स्टैण्ड पर सफाई संरक्षकों द्वारा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही रहनेए सफाई नहीं पाये जाने व जेटिंग वाहन के ड्रायवरों द्वारा वाहन समय पर नहीं निकाले जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर निलंबन व सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा प्रातः महू रोड बस स्टैण्ड के निरीक्षण के दौरान सफाई संरक्षक विकास-ब्रजेश बिरजे द्वारा बस स्टैण्ड पर उपस्थित नहीं पाये जाने पर संबंधित को निलंबित किये जाने के निर्देश दिये। इसके अलावा सफाई संरक्षक शिवशंकर-अर्जून व लोकेश को बस स्टैण्ड पर सफाई नहीं पाये जाने व जेटिंग वाहन के ड्रायवर संजय-अर्जून तथा आनन्द द्वारा निर्धारित समय प्रातः 7 बजे वाहन ना निकालते हुए 8 बजे पश्चात वाहन

निकाले जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

रांगोली और दीपदान के बीच चार डस्टबीन रखने का संकल्प लिया
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत आयोजित कार्यक्रम में जवाहर नगर व आसपास के रहवासियों ने कहां कि शहर को स्वच्छता में बनाएगे नम्बर-1
रतलाम 23 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त किया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मित्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। निगम प्रशासन के इन्ही प्रयासों की कड़ी में शहर के कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली निर्माण का कार्य निरन्तर जारी है। इन्ही प्रयासों के चलते शहर के जवाहर नगर व आसपास के इलाकों में रांगोली निर्माण व दीपदान कर लोगों को घर व दुकानों में चार डस्टबीन रखने का संकल्प दिलाया गया।
रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।
नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है।
इस दौरान बुधवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।
गंदगी व मलबा फैलाने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना
गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 23 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को

गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने पर माँ बिजासन दूध भण्डार महू रोड**ए** राठौड़ उपहार गृह काल्ेज रोड पर **2000.2000ए** आनन्दश्री रेस्टोरेंट महू रोड बस स्टैण्ड पर **1000ए** जयराज महू रोड बस स्टैण्ड पर **500ए** दीपक जैन**ए** बालाजी मोमोज**ए** राज कुमार**ए** किरण कुमार**ए** सुभाष**ए** धीरज**ए** शुभम् राठौड़ पर **250.250ए** भाईजी महू रोड बस स्टैण्ड**ए** उपेन्द्र स्टेडियम मार्केट पर **200.200ए** हेमन्त**ए** पुजा पाव भाजी**ए** सत्यम चायनीज**ए** महेन्द्र सिंह**ए** विजय स्टेडियम मार्केट**ए** ऐजेन्द्र महू रोड बस स्टैण्ड पर **100.100ए** सुनीता बाई**ए** मंगलसिंह**ए** रेखाबाई**ए** दिनेश पैलेस रोड पर **50.50** रूपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह**ए** झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने**ए** अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

62 दिनों में **99** वॉल्व व **442** पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 23 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 23 दिसम्बर तक 99 वॉल्व व 442 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 23 दिसम्बर बुधवार को शास्त्रीनगर**ए** गायत्री टॉकिज के सामने**ए** कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग**ए** गांधी नगर मुख्य मार्ग पर पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती के साथ ही छत्रीपुल**ए** महलवाड़ा**ए** गौशाला रोड**ए** राजेन्द्र नगर**ए** गांधी नगर टंकी के बाहर वॉल्व लीकेज व छत्रीपुल पर ज्वाईंट बदलवाया गया तथा गणेश नगर में पाईप लाईन चॉक खुलवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 23 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 23 दिसम्बर बुधवार को मदिना मस्जिदए इंदिरा नगर व चमारिया नाका करमदी रोड बस स्टैण्ड वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा प्रारंभ करवाया गया।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 23 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालयए जिला चिकित्सालयए रैन बसेरा सिविक सेन्टरए पांजरा पोलए महू रोड बस स्टैण्ड सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण व शौच के लिये शौचालय के उपयोग की दी समझाईश

रतलाम 23 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी। टीम आस्था के सदस्यो द्वारा नगर के खुले क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को शौच हेतु शौचालय के उपयोग की जानकारी दी।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

नागरिकों को दी स्वच्छता एप उपयोग की जानकारी

रतलाम 23 दिसम्बर। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के

लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना
रतलाम 23 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

शास्त्रीनगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने **50ए93ए854रु.** संपत्तिकर व **18ए28ए420रु.** जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 23 दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-**19द्ध** वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी**ए** उद्योग-धन्धे में गिरावट**ए** सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों**ए** उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राषि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर**ए** जलकर**ए** दुकान**ए** गुमटी किराया**ए** लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर **2ए38ए224रु.** व जलकर **43ए460रु.ए** मालवा नगर षिविर में संपत्तिकर **3ए66ए429रु.** व जलकर **43ए830रु.ए** जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर **2ए69ए336रु.** व जलकर **41ए850रु.ए** विनोबा नगर पानी की टंकी के पास षिविर में संपत्तिकर **3ए94ए652रु.** व जलकर **1ए06ए050रु.ए** अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास षिविर में संपत्तिकर **4ए54ए616रु.** व जलकर **84ए000रु.ए** तिरूपति नगर में षिविर में संपत्तिकर **55ए700रु.** व जलकर **14ए800रु.ए** कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर **65ए133रु.** व जलकर **18ए430रु.ए** इन्द्रलोक नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए04ए310रु.** व जलकर **37ए520रु.ए** कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए63ए070रु.** व जलकर **41ए200रु.ए** प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर **54ए244रु.** व जलकर **31ए700रु.ए** डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए87ए800रु.** व जलकर **13ए500रु.ए** हाट रोड माताजी मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर **89ए439रु.** व जलकर **29ए500रु.ए** डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर **2ए23ए843रु.** व जलकर **80ए000रु.ए** वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर **78ए232रु.** व जलकर **24ए800रु.ए** दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर **95ए424रु.** व जलकर **46ए350रु.ए** बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर **2ए61ए000रु.** व जलकर **45ए500रु.ए** लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर **2ए58ए000रु.** व जलकर **90ए310रु.ए** धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर **2ए39ए000रु.** व जलकर **1ए58ए845रु.ए** आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर **94ए633रु.** व जलकर **24ए500रु.ए** प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए31ए093रु.** व जलकर **68ए580रु.ए** महावीर नगर षिविर में जलकर **45ए550रु.ए** पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर **5ए91ए492रु.** व जलकर **1ए31ए930रु.ए** चौगानिया भेरू मंदिर षिविर में संपत्तिकर **1ए71ए109रु.** व जलकर **1ए26ए280रु.ए** सायर चबुतरा षिक्षा विभाग के पास

आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए55ए000६. व जलकर 1ए24ए290६.ए चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 2ए65ए000६. व जलकर 2ए31ए675६.ए षास्त्रीनगर षिविर में संपत्तिकर 2ए06ए000६. व जलकर 1ए30ए970६. की एक मुष्त बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांें ने अब तक आयोजित षिविरों मेंें 48ए87ए854६. संपत्तिकर व 16ए97ए450६. जलकर की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुष्त राषि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000६. ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी

तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि वार्डवार आयोजित बकाया षिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 461 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 23 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 23 दिसम्बर तक 461 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 23 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 461 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 23 दिसम्बर बुधवार को 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/23ण12ण2020ध्न.पा.निगमए रतलाम.